न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 115 / 2021

1. लाली देवी पत्नी स्व. श्री मानाराम | जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली ढाणी
2. डुंकलराम पुत्र स्व. श्री मानाराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कृष्णा देवी पुत्री स्व. श्री मानाराम पत्नी श्री रजीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. सुपारसा देवी पत्नी स्व. श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री मानाराम जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. अनिल कुमारपुत्र
6. रवीनापुत्रीयां
7. लक्ष्मी
8. मीनाक्षी

| जसवन्त | जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सन्तराम
2. काशीराम.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।
4. विमला पुत्री स्व. श्री मानाराम (फौत)

4/1. सुनील | पुत्रीयां विमला पुत्री स्व. मानराम पत्नी कृष्णलाल

4/2. कविता | जाति जाटसाकिन स्वर्ण पथ मकान नं. 24/118 मानसरोवर

4/3. अमित | जयपुर

4/4. नीलम तहसील व जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी — प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — अप्रार्थी संख्या 1 व 2
2. श्री संदीप सैन — अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 9

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 25-04-2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कियह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण के पति, पिता, ससुर, दादा मानाराम पुत्र बख्ता के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 बीएचएम—बी के खाता सं. 44/40 के प.नं. 941377 (28) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 की 6.325 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, प.नं. 95/376 (24) किला नं. 16 ता 18, 22ता 25 की 1.771 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी, प.नं. 95/377 (27) किला नं. 3 ता 8, 14/1,

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

14/2, 15/1, 15/2 की 2.024 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी, प.नं. 96/377(26) किला नं. 1, 10, 11/1, 11/2 की 0.759 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी इस प्रकार कुल तादादी 10.889 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। प्रार्थीगण के पति, पिता, दादा, ससुर मानाराम का स्वर्गवास हो चुका है व प्रार्थीगण सं. 4 ता 8 के पति व पिता जसवन्त सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारीस प्रार्थीगण सं. 4 ता 8 है। उसके नाम वर्णित उक्त भूमि में प्रार्थीगण सं. 1 ता 3 का 3/5 हिस्सा, प्रार्थीगण सं. 4 ता 8 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी सं.4 का 1/5 हिस्सा बनता है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी मय नजरी नक्शा व मृत्यु प्रमाण पत्र मानाराम, जसवन्त सिंह व वारीसनामा मानाराम सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 3 बीएचएम–बी के खाता सं. 64/52 के प.नं. 941376 (23) किला नं. 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/3, 16/4, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1 की 2.021 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, प.नं. 95/377 (27) किला नं. 1/3, 1/4 की 0.127 हैक. मय गैर मुमकिन खाला इस प्रकार कुल 2.148 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 3 बीएचएम बी के खाता सं. 615 के प.नं. 94/376 (23) किला नं. 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21 ता 24, 25/1, 25/2 की 1.775 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, प.नं. 95/377 (27) किला नं. 1/2, 2/1, 2/2 की 0.353 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी इस प्रकार कुल 2.128 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण के पति, पिता, ससुर, दादा मानाराम पुत्र बख्तारांम के नाम कृषि भूमि चक 3 बीएचएम–बी के प.नं. 95/377 (27) किला नं. 3 ता 8, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 की 2.024 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है।

यह कि प.नं. 95/377 (27) के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम चक 3 बी. एच. एम बी के प.नं. 95/377 (27) के किला नं. 1, 2 प्रत्येक में 0.022 – 0. 022 हैक. बजानिब उतर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। रास्ता में आई भूमि की एवज में उतनी भूमि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं.1, 2 को देने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण के पति, पिता, दादा, ससुर मानाराम पुत्र बख्तारांम के नाम कृषि भूमिके लिये प्रार्थीगण निकटतम रास्ता चक 3 बीएचएम–बी के प.नं. 95/376 के किला नं. 21 में से प्राप्त कर सकते है लेकिन किला नं. 21 में आवासीय ढ़ाणी बनी हुई है। आवासीय ढ़ाणी किला नं. 21 में बनी है जिसके आगे पीछे से किला नं. 22 में आने जाने बाबत कोई जगह शेष नही रहती व इस बाबत पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का विवाद हो है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम चक 3 बी. एच. एम–बी के प.नं. 95/377 (27) के किला नं. 1, 2 प्रत्येक में 0.022में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

यह कि अप्रार्थी सं.3 जो कि भू धारक है इसलिये उसे औपचारिक पक्षकार बनाया है व अप्रार्थी सं.4 जो कि आज रोज न्यायालय में उपस्थित नहीं आई है इसलिये उसे तरतीबी पक्षकार अप्रार्थी सं.4 के रूप में सयोंजित किया है भविष्य में अप्रार्थी सं.4 चाहे तो प्रार्थीगण के साथ प्रार्थी के रूप में सयोंजित हो सकती है।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 3 बी. एच. एम– बी के प.नं. 95/377 (27) के किला नं. 1, 2 प्रत्येक में 0.022 – 0.022 हैक्. बजानिब उतर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता हाजिर आये वकालत नामा यम जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड से सम्बधिंत है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं.2 व अप्रार्थी सं.1 व प्रार्थीगण के पिता, पति, ससुर, दादा मानाराम के मध्य उक्त वर्णित भूमि का वर्ष 1990 में विभाजन हुआ था। विभाजन के समय सभी को खाला रास्ता की सुविधा दी गई थी। प्रार्थीगण के द्वारा मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे कथन अकिंत किये गये है। प्रार्थीगण की भूमि को अपनी अन्य भूमि से रास्ता लगता है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना करते है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिये सुविधाजनक है। प्रार्थीगण के पास पूर्व में सुविधाजनक रास्ता है तो वे मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि में से नया रास्ता पाने के अधिकारी नही है। जो सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है उस रास्ता को को प्रार्थीगण पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता लम्बा व दूरी से पड़ता है। रा.का.अधि. की धारा 251–क में विशेष कथन है कि जो सबसे नजदीक व सुगम रास्ता है उस रास्ते को स्वीकृत करवाया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थीगण की भूमि को अपनी अन्य भूमि से रास्ता लगता है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना करते है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिये सुविधाजनक है। प्रार्थीगण के पास पूर्व में सुविधाजनक रास्ता है तो वे मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि में से नया रास्ता पाने के अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना अपनी भूमि में से करते है और वह रास्ता सुविधानुसार सबसे नजदीक व सुगम रास्ता है। प्रार्थीगण के पास सुगम रास्ता होते हुए वे नया रास्ता की मांग नही कर सकते है व मुझअप्रार्थी की कृषि भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने मात्र मिन अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। भूमि के बंटवारा के समय प्रार्थीगण को खाला रास्ता की सुविधा दी गई थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 कानूनी है।अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किप्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/4 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/4 की ओर से प्रस्तुत किया [illegible] अप्रार्थी सं. 4/1 ता 4/4 निम्न प्रकार से प्रस्तुत है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा [illegible] पते [illegible] सम्बधिंत है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। [illegible] मिन अप्रार्थीगण के नाना है। हमारी माता स्व. श्रीमति विमला देवी का देहान्त हो [illegible] है जिनके वारीसान मिन अप्रार्थीगण है। दफा में वर्णित कृषि भूमि में हम अप्रार्थीगण 1/[illegible] हिस्सा भुमि के हकदार है जिसका विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी[illegible] ने प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज होने से पुर्व प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय में दावा एवम् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश जारी करवा लिया ताकि हम अप्रार्थीगण को हमारे हक हिस्सा की भुमि से वंचित किया जा सके।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व अभिलेख से सम्बधित है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व अभिलेख से सम्बधिंत है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 को साबित करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भार प्रार्थीगण पर है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रशनगत कृषि भुमि मृतक नाना मानाराम के नाम दर्ज है जिसका विरास्तन नामान्तरण दर्ज होने के बाद सभी वारीसान के हक हिस्सा की भुमि उनके नाम दर्ज होने के तथा कृषि भुमि का खाता विभाजन किया जाने के बाद सभी वारीसान अपने अपने हिस्सा तथा कब्जा की भुमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 भु–धारक को पक्षकार बनाये जाने की हद तक स्वीकार है, शेष तथ्य मिथ्यारचित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की माता के हक हिस्सा की कृषि भुमि से उन्हे वंचित करने पर आमाद रहें है अब भी हम अप्रार्थीगण की माता के देहान्त होने के बाद भी उनके हिस्सा की भुमि का विरास्तन नामान्तरण रोकने के लिए श्रीमान न्यायालय में झूठे तथ्यों के आधार पर अनवान सुपारसालाली देवी आदि बनाम सन्तराम आदिबनाम धोंकलराम आदि दावा पेश कर एकतरफा स्थगन प्राप्त कर रखा हैं ताकि मिन अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा की कृषि भूमि से वंचित किया जा सके।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 कानुनी है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जब तक मृतक नाना मानाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्जनहीं हो जाता है तब तक प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक दिनांक से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू नहीं है।प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है।प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पहले से कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है।प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य प.न. 95 / 376 कि.न. 21 / .253(.227 है. कमाण्ड, .026 है. गैर मुमकिन रास्ता) से वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का है।प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अतिरिक्त प.न. 95 / 376 कि.न. 21 / .253 में वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का उपलब्ध है जो रिपोर्ट तहसीलदार में प्रस्तावित किया गया है इस लिए कम दूरी का रास्ता होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– चक 3 बी. एच. एम– बी के प.न. 95 / 376 कि.न. 21 / .253 में 0.022 है बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व–पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर के रूप में प्रार्थीगण से डीएलसी की [illegible] जमा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल [illegible] आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी